न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	03/23	2023/5	16.06.2023	सरकार बनाम दुर्गेश छीपी	26.02.2026	1 लगायत6

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 03/2023 (2023/5)

उनवान प्रकरण

1. वीरेन्द्र कुमार सिंह (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर। –आवेदक

बनाम

1. श्री दुर्गेश छीपी पुत्र श्री राधेश्याम छीपी (विक्रेता) मैसर्स अनिता स्टोर, एनआरआई शोपिंग मॉल, वजीरपुर, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर। निवासी गोपालजी मन्दिर के पास, वजीरपुर गगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर। –अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत दिनांक 24.06.2022 को दोपहर 01.00 पी एम पर उक्त संस्थान पर पहुंचा एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु 3 पैकेट घी (सरस) 1–1 लीटर की पैकिंग में काउन्टर पर रखे थे। उक्त घी (सरस) में गुणवत्ता/मिसन्ब्राण्ड होने का अनदेशा होने पर वास्ते नमुना जॉच 1 पैकेट घी (सरस) मूल कम्पनी पकै खरीदकर उनकी कीमत 470/– रुपये विक्रेता श्री दुर्गेश छीपी को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री शेतान सिंह डीएसटी टीम प्रभारी एवं जाहिद पुत्र शमशुदीन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

है।आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 पैकेट घी (सरस) मूल कम्पनी पैक को एक स्टील की भगोनी में खाली कर चार प्लास्टिक की बोतलो में बराबर–बराबर मात्रा में डाल कर उनको एयर टाईट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच–2346 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। प्रत्यके बोत्तल पर मूल कम्पनी पैकेट की चार छाया प्रतिया करवा कर चारो नमूनो भागो पर लगाई एवं चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच–2346 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया एवं मूल कम्पनी पैक का खाली गत्ता पैक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री दुर्गेश छीपी ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म स. 5ए की एक प्रति श्री दुर्गेश छीपी को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कसकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/1849 दिनांक 25.07.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/2239/एक्ट/2022/2267 दिनांक 11.07.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (सरस) **Unsafe [illegible] Under Section 3(1)(zz)(iv) and 3(1)(zz)(xi) of Food Safety & Standards Act 20[illegible] as [illegible] Ghee is sub&stituted wholly**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
...पुर सिटी

by any inferior or cheaper Sub&stances- प्रकृति का होना पाया गया है। जॉच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा दिनांक 05.08.2022 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत धारा 2.4.6 (1) के तहत नमूनों की जाँच से असन्तुष्ट होते हुए नियामानुसार नियत अवधि में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के समक्ष निर्धारित प्रपत्र 8 में नमूनो की पुनः जॉच हेतु आवेदन कर अपील की जिस अपील को स्वीकार करते हुए अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) द्वारा लिये गये नमूनो के द्वितीय भाग को वास्ते जॉच हेतु रेफरल लेब में भिजवाया गया एंव प्राप्त हुई रेफरल लेब पूणे की जांच रिपोर्ट संख्या RFL/DO/P/544/22/628/2022 दिनांक 21.09.2022 खाद्य नमूना धी (सरस) सबस्टेण्डर्ड होना घोषित किया गया ।

अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ घी (सरस) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गईं।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पदार्थ घी (सरस) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विक्रय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। आवेदक द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रेफरल लेब पूणे की जांच रिपोर्ट संख्या RFL/DO/P/544/22/628/2022 दिनांक 21.09.2022 निम्नानुसार है:–

Sr. No.	Quality Characteristics	Name of Method of test used	Results	Prescribed Standards as per: - (a) As per reg. no. 2.1.8 of food safety and standards (Food products and food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for proprietary foods. (c) As per provisions of the Act and Regulations, for both above
1	Moisture %	FSSAI Manual method of Milk & Milk Products 2016	0.025	Shall be up to max. 0.5 %
2	Milk Fat %		----	Shall be Minimum 99.5 %
3	Butyro- Refractometer reading at 40 °C		60.1	40.0 to 43.0 (For Rajasthan)
4	Reichert Meissl Value		1.45	Shall be min. 26
5	Free Fatty Acid (as Oleic Acid) %		0.10	Shall be up to max. 3.0 %
6	Baudouin's Test		Negative	Shall be negative
7	Rancidity by dilution		Positive	Shall be negative
8	Test for extraneous colour		Absent	Shall be absent
8	Test for presence of foreign fat	Journal of Food Science & Technology (April 2015) 52(4):2434–2439	Present / Positive	Shall be absent

Opinion: I am of the opinion that, the sample Ghee (Saras Brand)" bearing No. H-2346, does not conforms to the standards of Ghee as per Regulation No. 2.1.8 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards & Food Additives) Regulations, 2011 and further amendments, on the basis of tests performed. Hence found to be **sub-standard** as per section 3 (1) (zx) of Food Safety & Standards Act 2006.

REFERRAL FOOD LABORATORY * PUNE *

(Manohar D. Dhumal)
Director
Referral Food Laboratory,
Pune - 411 001.

Place: Pune
Date: 21 .09.2022

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा)
एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी
सवाई माधोपुर

Page 2 of 2

tyro refractometer reading of ghee A Butyro-Refractometer (BR) reading of 60 for ghee indicates significant adulteration with vegetable oils or other foreign fats, as it is far above the standard, safe range.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Here is the breakdown of what this result means:Standard Range: The normal, legal range for pure ghee (at 40°C) is 40.0 to 44.0.
Significance of 60: A reading of 60 is heavily elevated. The higher the BR reading, the higher the amount of unsaturated fatty acids, which indicates that the milk fat has been adulterated with oils like soybean, palm, or cotton seed oil.
Product Quality: This indicates poor quality, likely adulterated, and the product fails to meet FSSAI or Agmark standards.
National Institutes of Health (NIH) | (.gov)
National Institutes of Health (NIH) | (.gov)
Summary
A reading of 60 means the sample is not pure ghee. It is highly likely to be mixed with a large quantity of vegetable oil or body fat, as pure, high-quality ghee does not exceed a BR value of

A Reichert-Meissl (RM) value of 1.45 for ghee is extremely low and indicates severe adulteration with vegetable oils or animal body fats. Pure cow/buffalo ghee typically has RM values between 26 and 35. Such a low value suggests the sample is not pure milk fat, as authentic ghee must have high volatile fatty acid content.
Key Points on RM Value for Ghee:
Pure Ghee Standard: Pure cow ghee ranges from 28.60 to 30.36, while buffalo ghee ranges from 31.46 to 34.98.
Adulteration Indicator: Low RM values (like 1.45) indicate the absence of short-chain fatty acids (like butyric acid) characteristic of milk fat.
Common Adulterants: Such low values are typical when ghee is adulterated with palm oil, vegetable oil, or animal fats.
Cottonseed Oil Effect: Even if cows are fed cottonseed, the RM value generally does not drop below 21.

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (सरस) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ घी (सरस) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के तहत जुर्माना राशि 1,00,000 रूपये (अक्षरे एक लाख) के आर्थिक दण्ड से दण्डित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जयपुर सिटी

किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:31 IST
Reason: SelfAttested